न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 60/2020 दायरा दिनांक : 22.09.2022

उनवान

1— कंवरलाल पुत्र बीरमचन्द, जाति लोधा

2— राधेश्याम वल्द बीरमचन्द, जाति लोधा

3— लक्ष्मीनारायण वल्द बीरमचन्द, जाति लोधा

4— मांगी बाई पुत्री बीरमचन्द, जाति लोधा पत्नी मोहनलाल

5— भूलीबाई पत्नी बीरमचन्द, जाति लोधा,

निवासीयान ग्राम चन्दीपुर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

6— कालीबाई पत्नी बीरमचन्द, जाति लोधा, निवासी चन्दीपुर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

7— बीरमचन्द वल्द मथुरालाल माता दोलीबाई, जाति लोधा, निवासी भूमरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

8— मांगीलाल वल्द मथुरा लाल माता दोलीबाई, जाति लोधा, निवासी भूमरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

9— रामकंवरी पुत्री मथुरा लाल माता दोलीबाई, जाति लोधा, निवासी भूमरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

10— बुन्दाबाई पुत्री मथुरा लाल माता दोलीबाई, जाति लोधा, निवासी भूमरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो—(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

बनाम

1– गेंदा लाल वल्द देवा, जाति लोधा

2– मन्नालाल वल्द देवा, जाति लोधा

3– प्रभूलाल वल्द देवा, जाति लोधा

4– मथुरालाल वल्द देवा, जाति लोधा

निवासीयान ग्राम चन्दीपुर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

5– राजस्थान सरकार उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री मुकेश लोधा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 व 3 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 20.10.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखंण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 32/दावा/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट एवं 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

चन्दीपुर पटवार हल्का चन्दीपुर, तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 150 पुराना 268 की खसरा नम्बर 339 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 658 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 659 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 660 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 695 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 696 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 697 रकबा 3 बिस्वा कुल 8 किता की 13 बीघा 14 बिस्वा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता व माता के शामलाती खाते में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश डिक्री की पालना में तहसील मनोहरथाना द्वारा नामान्तरकरण संख्या 447 ग्राम चन्दीपुर से वादी को 1/4 तथा प्रतिवादी के पिता व माता को 3/4 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया गया था और वादीगण का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण के माता व पिता का 3/4 हिस्सा आराजी का नामान्तरकरण जो जमाबंदी सम्वत 2051–2054 में नोट अंकित है जिसमें वादीगण को खसरा नम्बर 660 की 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 695 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 658 रकबा 9 बिस्वा कुल 3 बीघा 9 बिस्वा आराजी खाते दर्ज का आदेश हुआ है एवं नामान्तरकरण संख्या 447 से प्रतिवादीगण के माता पिता को खसरा संख्या 339 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 658 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 659 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 696 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 697 रकबा 3 बिस्वा कुल 6 किता की 10 बीघा 5 बिस्वा आराजी खाते दर्ज करने का आदेश हुआ है। वाद की मद नम्बर 1 की वर्णित आराजी को न्याय आदेशानुसार नामान्तरकरण संख्या 447 ग्राम चन्दीपुर, तहसील मनोहरथाना तस्दीक किया गया था, उसी के अनुसार जमाबंदी में संख्या 150 सम्वत 2051–2054 में अंकन किया जा चुका था लेकिन नई जमाबंदी खाता संख्या 163 पुरानी 150 को

टंकणकर्ता
लेखा
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बनाते समय लिपिकीय त्रुटि के द्वारा वादीगण को खसरा नम्बर 660 की 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 695 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 658 रकबा 9 बिस्वा कुल 3 किता की 3 बीघा 9 बिस्वा आराजी दर्ज होने के पश्चात जमाबंदी से खसरा नम्बर 658 रकबा 9 बिस्वा आराजी को जान–बूझकर पटवारी हल्का द्वारा उक्त खसरा पर पेन से काट दिया गया तथा वादी को 3 बीघा 9 बिस्वा आराजी के जगह 3 बीघा आराजी को जमाबंदी में अंकन कर दिया है, जो गलत है। वादी को न्यारा आदेशानुसार 3 बीघा 9 बिस्वा आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया गया था। इस कारण से वादी को 3 बीघा 9 बिस्वा आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे । वाद की मद नं. 1 में वर्णित आराजी न्याय आदेशानुसार नई जमाबंदी बनाते समय प्रतिवादीगण के पिता व माता को 10 बीघा 5 बिस्वा आराजी का खातेदार घोषित कर जमाबंदी संवत 2055–2059 बनाते समय 10 बीघा 5 बिस्वा की जगह प्रतिवादीगण के माता व पिता को 10 बीघा 14 बिस्वा खाते दर्ज कर दी गई है। हल्का पटवारी ने प्रतिवादीगण के माता पिता की जमाबंदी की खाता संख्या 163 पुरानी 150 में दर्ज खसरा नम्बर 658 की 3 बीघा 15 बिस्वा आराजी को काट कर 4 बीघा 4 बिस्वा दर्शा दी गई है, जो त्रुटिपूर्ण है उसको सही किया जाकर 10 बीघा 14 बिस्वा आराजी को दुरूस्त कर उसके स्थान पर 10 बीघा 5 बिस्वा आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज की जावे । वाद की मद नं.1 में वर्णित आराजी को न्याय आदेशानुसार ग्राम चन्दीपुर तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या 150 पुरानी 268 की कुल 8 किता की 13 बीघा 14 बिस्वा आराजी को वादीगण का हिस्सा 1/4 तथ प्रतिवादीगण के माता पिता को 3/4 हिस्सा घोषित होने के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 447 खोला गया था, जिसमें सही अंकन है। नामान्तरकरण संख्या 447 का अंकन जमाबंदी ग्राम चन्दीपुर की खाता संख्या 150 में अमल हो चुका है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार जमाबंदी ग्राम चन्दीपुर की खाता संख्या 65 पुरानी 150 व खाता संख्या 163 पुरानी 150 जमाबंदी में काट–छांट की है, जो गलत है। इस कारण से वादीगण को खसरा नम्बर 660 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 695 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 658 रकबा 9 बिस्वा वादीगण के दर्ज की जावे एवं प्रतिवादीगण खसरा संख्या 658 में से 4 बीघा 4 बिस्वा के स्थान पर 3 बीघा 15 बिस्वा दुरूस्त किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम चन्दीपुर खाता संख्या 189 पुरानी 177 की कुल 6 किता की 10 बीघा 14 बिस्वा आराजी में से खसरा नम्बर 658 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा जो प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है उसमें से न्याय आदेशानुसार प्रतिवादीगण को 3 बीघा 15 बिस्वा तथा वादीगण को 9 बिस्वा आराजी खाते दर्ज की जावे तथा वादीगण को खसरा संख्या 658 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा आराजी में से 9 बिस्वा आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है । राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे, तदनुसार डिक्री आदेश जारी हो, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध एवं पत्र संग्रहसार के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय मनोहरथाना परगना दण्ड न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा ग्राम चन्दीपुर पटवार हल्का चन्दीपुर के माल की खाता संख्या 150 नई पुरानी 268 की खसरा नम्बर 349, 339 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, भूमि खसरा नम्बर 355 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 658 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 659 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 660 रकबा 1 बीघा 5 बिवा, खसरा नम्बर 695 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 696 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 697 रकबा 3 बिस्वा कुल 8 किता की 13 बीघा 14 बिस्वा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के माता व पिता के शामलाती खाते

रेकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

में दर्ज है। परन्तु रेस्पोडेंट द्वारा उक्त भूमि को विवादित मानकर वाद पेश किया है जो कि गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश है, इस कारण निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सूचना जारी की गई है जिसमें अपीलांट को प्रोपर तरीके से नोटिस की तामील नहीं हुई है, इसलिए अपीलांट को सही तामील नहीं होने के कारण व न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके तथा उनके खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण अपीलांट को कतई नहीं है। उक्त वाद में अपीलांट को वाद का जवाबदेही व साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर नहीं मिला। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर गंभीरता से सुना एवं समझा नहीं गया व ना ही रेस्पोडेंट द्वारा समुचित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये गये मात्र वाद आधार पर निर्णय पारित किया गया है। इस कारण से भी उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2019 को अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी है तथा एक तरफा निर्णय पारित किया गया है इस कारण निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध व त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.06.2020 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम चन्दीपुर खाता संख्या 189 पुरानी 177 की कुल 6 किता की 10 बीघा 14 बिस्वा आराजी में से खसरा नम्बर 658 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा जो प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है उसमें से न्याय आदेशानुसार प्रतिवादीगण को 3 बीघा 15 बिस्वा तथा वादीगण को 9 बिस्वा आराजी को खाते दर्ज की जावे तथा वादीगण को खसरा संख्या 658 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा आराजी में से 9 बिस्वा आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रोपर तामील करवायी गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने से सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर अपीलांट राहत प्राप्त कर सकते हैं । लिहाजा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 13.08.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/10/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंक०/कर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– कंवरलाल पुत्र बीरमचन्द, जाति लोधा
2– राधेश्याम वल्द बीरमचन्द, जाति लोधा
3– लक्ष्मीनारायण वल्द बीरमचन्द, जाति लोधा
4– मांगी बाई पुत्री बीरमचन्द, जाति लोधा पत्नी मोहनलाल
5– भूलीबाई पत्नी बीरमचन्द, जाति लोधा,
निवासीयान ग्राम चन्दीपुर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
6– कालीबाई पत्नी बीरमचन्द, जाति लोधा, निवासी चन्दीपुर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
7– बीरमचन्द वल्द मथुरालाल गाता दोलीबाई, जाति लोधा, निवासी भूमरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
8– मांगीलाल वल्द मथुरा लाल गाता दोलीबाई, जाति लोधा, निवासी भूमरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
9– रामकंवरी पुत्री मथुरा लाल गाता दोलीबाई, जाति लोधा, निवासी भूमरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
10– बुन्दाबाई पुत्री मथुरा लाल गाता दोलीबाई, जाति लोधा, निवासी भूमरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

..........**अपीलान्ट्स**

बनाम

1– गेंदा लाल वल्द देवा, जाति लोधा
2– मन्नालाल वल्द देवा, जाति लोधा
3– प्रभूलाल वल्द देवा, जाति लोधा
4– मथुरालाल वल्द देवा, जाति लोधा
निवासीयान ग्राम चन्दीपुर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
5– राजस्थान सरकार उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **<u>60/2020</u>** एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **<u>उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना</u>**
मु.द.नं0 **<u>32/दावा/2018</u>** निर्णय व डिक्री दिनांक – **<u>13.08.2019</u>**

<u>दावा बाबत</u>

माह अपील व तारीख **14** माह **10** सन् **2022**

हाजरी **श्री मुकेश लोधा** अभिभाषक मिनजानिब अपीलान्ट एवं **श्री तंवर सिंह झाला** अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 3 की ओर से
सगाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2019 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **20** माह **10** सन् **2022** को जारी किया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)